

01 प्रेस नोट दिनांक 18.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

180 शीशी देशी नजायज शराब मय 01अदद बोलेरो के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक इटवा के निर्देशन में व श्री अनिल कुमार पाण्डेय प्र0नि0 गोलहौरा के कुशल नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा दिनांक 17/04/2021 रात्रि 22:25 बजे मुखबीर खास की सूचना पर तिवारीपुर तिराहा के पास मय बोलेरो 180 शीशी देशी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया ।

विवरण अभियुक्त व बरामदगी –

1. गंगा राम पुत्र राम समुझ सा0 असिधंवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर - 48 अदद देशी शराब नजायज (मु0अ0सं0 43/2021 धारा 60/72 आबकारी अधि0 171 (च) भादवि थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर)
2. दुर्गेश कुमार पुत्र जग्गू प्रसाद सा0 असिधवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर – 68 अदद देशी शराब नजायज (मु0अ0सं0 44/2021 धारा 60/72 आबकारी अधि0 171 (च) भादवि थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर)
3. सुनील कुमार पुत्र राम दीन सा0 असिधवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर – 64 अदद देशी शराब नजायज(मु0अ0सं0 45/2021 धारा 60/72 आबकारी अधि0 171 (च) भादवि थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर)

01 अदद बोलोरो यूपी 40 V 4554

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री राम मिलन यादव, थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. हे0का0 हरिकेश कुमार, थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. हे0का0 कमलेश कुमार, थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पिछले वर्ष

की भांति पुनः इस वर्ष भी जनपदीय बैरियर/चेक पोस्ट (उसका बाजार थाना अन्तर्गत सिद्धार्थनगर-गोरखपुर बार्डर, थाना बांसी अन्तर्गत सिद्धार्थनगर-बस्ती बार्डर(डिडई), थाना डुमरियागंज अन्तर्गत सिद्धार्थनगर-बस्ती बार्डर(महुआरा) में बनाई गयी है, जहाँ पर पुलिस बल द्वारा चिकित्सकीय टीम के साथ समन्वय स्थापित कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं वाहनों की सघन जांच आदि की जा रही है कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का चालान भी किया जा रहा है।

आज दिनांक 18-04-2021 को श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद के सिद्धार्थनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर गस्त कर ड्यूटी में लगाए गए पुलिस बल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तथा यह भी ब्रीफ किया गया कि वीकेंड लॉकडाउन को शत-प्रतिशत सफल बनाने हेतु समस्त व्यक्ति एवं संदिग्ध वाहन आदि की सघन चेकिंग की जाये, तथा जो व्यक्ति अकारण ही बाहर है, उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम एवं एमवी एक्ट में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 18-04-2021 को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ही त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, तथा वार्ड सदस्य, पद के प्रत्याशियों को जनपद के समस्त विकासखंड मुख्यालय एवं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के जिलाधिकारी कार्यालय से चुनाव चिन्ह का आवंटन का कार्य हो रहा है, जहां पर समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण द्वारा भारी पुलिस बल के साथ ड्यूटी में मौजूद होकर 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी एवं एक प्रतीक चिन्ह हेतु एक प्रत्याशी की ही उपस्थिति का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जा रहा है।

आज दिनांक 18-04-2021 को समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्र अंतर्गत वीकेंड लॉकडाउन को शत-प्रतिशत सफल बनाने तथा किसी भी व्यक्ति एवं संदिग्ध वाहन आदि की सघन चेकिंग की जा रही है, तथा जो व्यक्ति बाहर पाया जा रहा है, उससे घर से बाहर निकलने का कारण पूछकर ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, अथवा अकारण ही वह बाहर हैं तो जुर्माना आदि की कार्यवाही की जा रही है।

02 प्रेस नोट दिनांक 18.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

दिनांक 17.02.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 74/2021 धारा 392 भा.द.वि. की पतारसी सुरागरसी मामूर थे कि तभी एस.ओ.जी प्रभारी उ.नि. श्री जीवन त्रिपाठी, मय हमराह आकर मिले। उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में आपस में वार्ता कर रहे थे कि तभी मुखबीर खास द्वारा सूचना दिया गया मुखबीर की लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी बगहवा में मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर उ.नि. रमाशंकर राय हे.का. विनय जयसवाल, का. सत्येन्द्र यादव व चौकी प्रभारी खुनुवां उ.नि. अभिमन्यु सिंह, का. सत्यवेदी सिंह को साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान बगहवा भारत नेपाल सड़क पर पहुँचा तो तीन व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में बात-चीत कर रहे थे। हम पुलिस वाले उनकी ओर जाने लगे हमें देखकर उपरोक्त अभियुक्तगण भागने लगे जिसे एक बारगी दबिश देकर मौके पर ही पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति 1. गुलाब यादव पुत्र श्री रामकोवल यादव ग्राम गड़ाकुल थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर 2. प्रभात उपाध्याय पुत्र विजेन्द्र उपाध्याय सा0 खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर 3. सोनू पुत्र गोपाल माँझी निवासी नई बस्ती थाना रांझो जनपद जबलपुर(म0प्र0) हाल मु0 ग्राम खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर बताया। जिनकी नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो गुलाब यादव उपरोक्त के पास से एक अदद कट्टा 12 बोर नाजायज तथा पैन्ट की दाहिनी जेब 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 79/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि. पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त प्रभात उपाध्याय पुत्र विजेन्द्र उपाध्याय सा0 खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर जिसकी तलाशी ली गयी तो उसकी पहनी पैन्ट की बायीं जेब से एक अदद लोहे का चाकू बरामद हुआ, जिसके आधार पर मु.अ.सं. 80/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि. पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त सोनू पुत्र गोपाल माँझी निवासी नई बस्ती थाना रांझो जनपद जबलपुर(म0प्र0) हाल मु0 ग्राम खरगवार बताया जिसके पास से मो0सा0 UP 55M 5063 काले रंग को हीरो मोटर सायकिल बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में कागजात माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त गणों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि साहब जो स्कूटी ने हम लोगों ने छिना था उसको पास में ही सरजू नहर में छिपा दिये थे जिसे आज नेपाल बेचने जा रहा था। इस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को साथ होकर नहर के पास पहुँचे मुल्जिमान आगे – आगे चलकर दो कदम नहर में घुसकर स्कूटी नं. UP 55AD 9459 को बरामद कराये जिसको बाजाफ्ता बाकायदा कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गुलाब यादव पुत्र श्री रामकोवल यादव ग्राम गड़ाकुल थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. प्रभात उपाध्याय पुत्र विजेन्द्र उपाध्याय सा0 खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. सोनू पुत्र गोपाल माँझी निवासी नई बस्ती थाना रांझो जनपद जबलपुर(म0प्र0) हाल मु0 ग्राम खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

विवरण बरामदगी

- 1- अवैध तमन्चा 12 बोर व 3 कारतूस 12 बोर ।
- 2- एक अदद स्कूटी माल मुकदमाती ।
- 3- एक अदद अवैध चाकू ।
- 4- एक अदद UP 55M 5063 काले रंग को हीरो मोटर सायकिल ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र.नि. राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ.नि. अभिमन्यु सिंह चौकी प्रभारी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. उ.नि. रमाशंकर राय थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर ।
4. उ.नि. जीवन त्रिपाठी प्रभारी एसओजी जनपद सिद्धार्थनगर
5. हे.का. विनय जयसवाल थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर ।
6. का. सत्येन्द्र यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर ।
7. का. सत्यवेदी सिंह चौकी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर ।
8. हे0कान्स राजीव कुमार शुक्ला एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
9. हे0 कान्स आनन्द यादव एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
10. कान्स वीरेन्द्र तिवारी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
11. कान्स पवन कुमार तिवारी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
12. कान्स मृत्युंजय कुश्वाहा एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
13. कान्स अखिलेश यादव एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
14. दिलीप द्विवेदी सर्विलांश टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
15. कान्स विवेक मिश्रा सर्विलांश टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

03 प्रेस नोट दिनांक 18.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर |

आज दिनांक 18.04.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के निर्देश व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरत गढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत मुखवीर खास की सूचना पर सिसवा बुजुर्ग रेलवे ब्रिज के नीचे थाना शोहरतगढ़ से अभियुक्त के पास से 28 शीशी नेपाली शराब बरामद किया गया । जिसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 81/2021 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

*** गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण ***

संतोष यादव पुत्र रामनारायण निवासी कपसिहवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण

1. 28 शीशी नेपाली शराब
2. PB10BR3641 स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल

बरामदगी व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण---

1. उ0नि0 राघवेंद्र प्रताप यादव, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. हेड कांस्टेबल राकेश मौर्या थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

04 प्रेस नोट दिनांक 18.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर ।

02 व्यक्तियों को नेपाली शराब के साथ पुलिस ने दबोचा **

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री सुरेश चंद्र रावत,अ.पु.अ. के ,दिशा निर्देश व श्री सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 18.04.21 को समय 14.30 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को 20-20 शीशी नेपाली शराब नाजायज के साथ ग्राम ठकुरापुर के पास से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी बरामदगी का विवरण

अभियुक्त - -

- 1- तीरथ पुत्र चिनक लोध सा. मिश्रोलिया थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 2- राम लौटन पुत्र राम लाल सा. मिश्रोलिया थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण -

- 1- 20- 20 शीशी नेपाली नाजायज शराब

टीम का विवरण -

- 1- उपनिरीक्षक श्री किशोरी लाल , थाना कपिलवस्तु
- 2- का.हिमांशु सिंह
- 3- का. सलीम अहमद

05 प्रेस नोट दिनांक 18.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर |

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.04.2021 को शोहरत गढ़ ब्लाक वहद ग्राम अगया में प्र०नि० राजेंद्र बहादुर सिंह थाना शोहरतगढ़, सि०नगर के दौरान क्षेत्र भ्रमण एक व्यक्ति द्वारा झोला व बोरा में चुनाव सम्बन्धित प्रचार सामग्री पाये जाने पर जिससे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति ना प्रस्तुत कर पाने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। जिस पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नं०- 67/21 धारा- 171 एच भा०द०वि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण अभि० -

अभिषेक गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता निवासी इन्दिरा नगर, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

महराजगंज बॉर्डर पर स्थित गोघी पुल पर क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा बैरियर लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया

जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग की गई | [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#)

[@digbasti](#) [@dmsid1](#) [@Cdosid1](#) [@SpAdditional](#) [@scrawatpps](#)

[#UPPolice](#)